

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015—माघ 17, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
“निर्वाचन भवन”  
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-273.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47(3) के उपबंध तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 75 “झ” के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर परिषद, छनेरा, जिला खण्डवा के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में सम्पन्न हुए निर्वाचन में दिनांक 4 फरवरी 2015 को घोषित परिणाम के अनुसार कमलकान्त (बबलू महाराज), अध्यक्ष पद पूर्ववत् धारण करते रहेंगे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( गिरीश शर्मा )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.